

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

सेवा में

1. प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला शहर, हिसार, रोहतक तथा
गुडगांव।
2. सभी जिला मुख्यालय के प्रधानाचार्य।
यादी कमांक केसी/टीई/डी.सी. रेट/ प्रशासन-III 15
दिनांक 4.1.2016

विषय:- अनुबन्ध आधार पर अनुदेशकों के रिक्त पदों की भर्ती करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको अवगत करवाया जाता है कि विभिन्न व्यवसाय के अनुदेशकों के रिक्त पदों को विभाग द्वारा फिक्स करवाये गये मानदेय 14000/- प्रतिमास की दर से अनुबन्ध आधार पर भर्ती करने बारे सरकार/ विभाग द्वारा अपने पत्र. यादी कमांक केसी/टीई/डी.सी. रेट/सभी आईटीआईज/प्रशासन-III/110 दिनांक 2.2.2015 द्वारा जारी किया गया भर्ती काईटऐरिया रदद करते हुये उसके स्थान पर विभाग/सरकार द्वारा अपने पत्र यादी कमांक टीई/डीसी रेट/सभी आईटीआईज/प्रशासन-II दिनांक 29.7.2010 को जारी किया गया भर्ती काईटऐरिया लागु करने का निर्णय लेते हुये आपको निर्देश दिये जाते है कि अनुबन्ध आधार पर अनुदेशकों की भर्ती आयोग द्वारा नियमित अनुदेशक नियुक्त होने तक लागु रहेगी अनुबन्ध आधार पर भर्ती के लिए जोनल कमेटी की अध्यक्षता मण्डल आयुक्त करेगें तथा जोन में सबसे सिनियर प्रधानाचार्य मेम्बर-कम-सैक्टरी होगा व मण्डल के अन्तर्गत आने वाले सभी जिला मुख्यालय के प्रधानाचार्य भर्ती कमेटी के सदस्य होगें। पद विज्ञापित करवाते समय विज्ञापन में यह भी स्पष्ट उल्लेखित हो कि जिन उम्मीदवारों द्वारा उक्त पदों के लिए पहले आवेदन किया गया था, उन्हे पुनः आवेदन करने की कोई आवश्यकता नही है अर्थात उनका पहले किया गया आवेदन स्वीकार्य होगा। चारों जोन के प्रधानाचार्यों को यह भी निर्देश दिये जाते है कि वे अपने-अपने जोन की वर्तमान रिक्त पदों की सूचना व्यवसाय वाईज तैयार करके एक सप्ताह के अन्दर हर हालत में दस्ती/मेल द्वारा निदेशालय पर भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि निदेशालय द्वारा सरकार की हिदायतों अनुसार रोस्टर तैयार करते हुये आपको भिजवाया जा सके तथा रिक्त पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि निदेशालय द्वारा रोस्टर निर्धारित करने उपरान्त ही भर्ती की जाये।

आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाये।

हस्ता0/-

अधीक्षक (आई.टी.)

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

निदेशालय, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

यादी कमांक केसी/टीई/डी.सी. रेट/ प्रशासन-III/17

दिनांक 4.1.2016

उपरोक्त की एक प्रति सहायक निदेशक प्रशिक्षण-I को भजते हुये अनुरोध किया जाता है कि इस पत्र को विभागीय वैबसाईट पर डालने की कृपा करें।

सहायक निदेशक प्रशासन-III

कृते: महानिदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।